मोहन बनाम लटूर

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 2019/380

23.12.2022	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील पुनः नम्बर पर लिये जाने का कथन किया । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवान की अपील माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.08.2019 को सुनवाई हेतु जैरकार थी लेकिन उन दिन ग्राम खेडली मीरां में बहुत ज्यादा बारिश होने से मार्ग अवरूद्ध होने से अपीलान्ट पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था जिसके कारण उनकी अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई । अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता उक्त कारणवश ही माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे । प्रार्थी की उक्त गलती सद्भाविक है । न्यायहित में उक्त अपील को नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे । धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया है । अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा ने उक्त अपील अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में आदेश 41 नियम 11 के उप नियम (2) के तहत भी खारिज की है । पक्षकार का दायित्व की वह न्यायालय में समय–समय पर उपस्थित हों । अपीलान्ट द्वारा अपने वकील साहब से सम्पर्क क्यों नहीं किया इस बाबत् कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है । उक्त प्रार्थना पत्र 01 माह के विलम्ब से बिना उचित कारण बताये पेश किया है जबकि रेस्टोरेशन की मियाद केवल एक माह है । उक्त प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है । प्रार्थी ने असत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पेश किया है जो खारिज योग्य है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.08.2019 को उक्त अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की है । प्रार्थी ने उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 30.09.2019 को रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो लगभग 01 माह के पश्चात् पेश किया है । प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किये जाने का मुख्य कारण अपने गॉव खेडलीमीरां में भारी बारिश होने से न्यायालय में उपस्थित नहीं होने का कथन किया है । अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के साथा धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है । उपर्युक्त स्थिति में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को 100/– रूपये की कोस्ट पर न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेश न प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जावे । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर दाखिल दफ्तर होकर फैसल शुमार हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा